नीलामी निविदा सूचना

आ0 न0 दे0 कृषि एवं प्रौ0 वि0 वि0, कुमारगंज, अयोध्या में निष्प्रयोज्य एक स्कार्पियो कार वाहन की नीलामी 26–12–2024 को अपरान्ह 03.00 बजे मुख्य परिसर स्थित वाहन अनुभाग में की जायेगी। विस्तृत सूचना www.nduat.org पर एवं विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

कार्यालय वाहन अनुभाग
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

पत्रांक–ए.एन.डी.यू.ए.टी.- 07/स्था/व्य./2024/151 **दिनांकः** 10–12–2024

नीलामी सूचना

विश्वविद्यालय वाहन सं0 यू0पी042एस0281 अचलित वाहन (स्कार्पियो कार, डीजल) की अल्पकालिक खुली नीलामी दिनांक 26–12–2024 को अपरान्ह 3.00 बजे मुख्य परिसर स्थित वाहन अनुभाग में निम्नलिखित शर्तों के साथ की जायेगी–

1–नीलामी में भाग लेने से पूर्व, वाहन का निरीक्षण, वाहन अनुभाग में आकर किया जा सकता है।

2–**नीलामी की प्रकिया में भाग लेने हेतु जी.एस.टी. (GST) नम्बर होना अनिवार्य है एवं रू0 20,000/–(रू0 बीस हजार मात्र) धरोहर धनराशि** के रूप में बैंक ड्राफ्ट **वित्त नियंत्रक**, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के पक्ष में आहरित हो तथा बैंक ड्राफ्ट, अखबार (News paper) में प्रकाशित सूचना की दिनांक के दिन का या इसके बाद की दिनांक का होना चाहिये, बैंक ड्राफ्ट वाहन अनुभाग में बोली की दिनांक के पहले या नीलामी के आधा घंटा (अपरान्ह 02.30 तक) पहले तक जमा कर सकते हैं। इसके उपरान्त ही वाहन की खुली नीलामी प्रकिया में भाग ले सकेंगे।

3–खुली बोली में वाहन के न्यूनतम आंकलित मूल्य से अधिक की ही धनराशि की बोली लगानी होगी, किसी भी दशा में न्यूनतम मूल्य से कम की धनराशि पर वाहन की नीलामी नहीं की जायेगी।

4–**जिसके पक्ष में वाहन की नीलामी जायेगी उनको उसी समय अधोहस्तक्षरी को एक प्रार्थना पत्र लिख कर देना होगा, कि मैं तीन महीने के अन्दर विश्वविद्यालय वाहन को अपने या अन्य किसी के नाम पर स्थानान्तरण कराकर, वाहन अनुभाग से, वाहन ले जाऊँगां, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय की जो भी शर्तें होंगी उनको मानूंगा और 10 दिनों के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि तथा उस पर देय 18% GST सहित कुल धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/नगद जैसा निर्देश मिलेगा, उसके अनुसार जमा करदूंगा, अन्यथा की स्थिति में मेरी/मेरी फर्म की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाये और भविष्य के लिए मुझे/मेरी फर्म को ब्लैक लिस्टिड कर दिया जाये, मुझे/मेरी फर्म को कोई अपत्ति नहीं होगी।**

5–जिसके पक्ष में वाहन की नीलामी अनुमोदित हो जायेगीं उनको 10 दिनों के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि तथा उस पर देय 18% GST सहित कुल धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट (वित्त नियंत्रक, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के पक्ष में आहरित हो) के माध्यम से धरोहर धनराशि को समायोजित कराते हुए, जमा कराना होगा।

6–जिनके पक्ष में नीलामी अनुमोदित हो जायेगी उनके द्वारा 10 दिनों के अन्दर वाहन की सम्पूर्ण धनराशि तथा उस पर देय 18% GST सहित कुल धनराशि जमा न करने पर सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म की धरोहर धनराशि, जब्त कर ली जायेगी और भविष्य के लिए उनको ब्लैक लिस्टिड कर दिया जायेगा।

7–यदि वाहन की नीलामी में अधिकतम बोली बोलने वाला/वाली 10 दिनों के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि तथा उस पर देय 18% GST सहित कुल धनराशि जमा नहीं करता/करती है तो, नीलामी की बोली में द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः नियमानुसार वाहन दिया जा सकता है, यदि सक्षम अधिकारी का अनुमोदन नीलामी की बोली में द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों हेतु प्राप्त हो जायेगा की स्थिति में, सभी शर्तें वाहन नीलामी की द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों पर भी लागू होंगी।

8–सम्बधिंत को वाहन तभी दिया जायेगा जब वह, वाहन को अपने या अन्य किसी के नाम पर स्थानान्तरण कराकर उनकी एक छायाप्रति वाहन अनुभाग में जमा करादेंगे और साथ में वाहन स्थानान्तरण की मूल प्रति लेकर आना अनिवार्य होगा। अधिकतम तीन महीने के अन्दर वाहन का पंजीकरण अपने नाम करा कर वाहन को, वाहन अनुभाग से तीन महीने के अन्दर ले जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा कि स्थिति में वाहन अनुभाग, सम्बधिंत द्वारा वाहन के कुल लगाये गये मूल्य का 2% वाहन सुरक्षा खर्च प्रति माह के हिसाब से जो भी पेनाल्टी बनेगी, सम्बधिंत द्वारा विश्वविद्यालय के खाते में जमा करके उसकी रसीद सम्बधिंत को उपलब्ध कराना होगा तभी वाहन ले जाने दिया जायेगा।

9–जिन व्यक्तियों/फर्मो के पक्ष में नीलामी अनुमोदित नहीं होगी (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों की धरोहर धनराशि छोड़ कर) उनकी धरोहर धनराशि नीलामी की प्रकिया पूर्ण होने पर मूलरूप में वापस कर दी जायेगी।

10–द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों की धरोहर धनराशि, 30 दिन बाद या उसके पहले सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद ही वापस की जायेगी।

11–**नीलामी में भाग लेने वालों का पैनकार्ड, आधारकार्ड एवं जी0एस0टी0 नम्बर होना अनिवार्य है एवं इन तीनों की स्वयं प्रमाणित एक–एक छायाप्रति धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा करना अनिवार्य होगा एवं नीलामी के समय इनकी मूल प्रति लेकर आना भी अनिवार्य होगा।**

12–विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री एवं आश्रित को प्रस्तावित नीलामी में भाग लेना अनुमन्य नहीं होगा।

13–नीलामी के समय या नीलामी के बाद यदि किसी बिन्दु पर असहमति या वाद–विवाद होता है तो, असहमति या वाद–विवाद पर समिति का निर्णय अंतिम होगा, जो कि विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा गठित है। यदि कोई समिति के निर्णय से सहमत नहीं होगा तो, वह समिति के अध्यक्ष को 15–15 दिन पर तीन अनुस्मारक देने के बाद ही विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी को अपनी शिकायत कर सकेंगे, यदि विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के निर्णय से भी यदि कोई सहमत नहीं होता हैं तो, वह 15–15 दिन पर सक्षम अधिकारी को तीन अनुस्मारक देने के बाद ही अपने न्याय के लिए, न्यालय की शरण में जाने के हकदार होंगे।

14–**नीलामी से पहले विश्वविद्यालय हित में नये नियम जोड़ने और कम करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास संरक्षित है।**

–s.d.–
प्रभारी अधिकारी
वाहन अनुभाग

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. वित्त नियंत्रक।
3. समिति के समस्त सदस्य।
4. डा0 विशाल मेहता, सहा0 प्राध्यापक, सांख्यिकी विभाग।
5. सभी महाविद्यालयों के नोटिस बोर्ड।
6. विश्वविद्यालय के सभी गेटों पर।

प्रभारी अधिकारी
वाहन अनुभाग